बातचीतकेबिंदु-24

मजदूर –किसानसंघर्षरैली

सीटू-अखिलभारतीयकिसानसभा-अखिलभारतीयखेतमजदूरयूनियन

5 सितम्बर 2018

संसदकेसमक्ष

मिड–डे–मील कार्यक्रम को मजबूत करो!
मिड–डे–मील वर्करस को 'मजदूर ' की मान्यता दो!

न्यूनतम वेतन!

समाजिक सुरक्षा लाभ!

निजीकरण को ना कहो

सरकारी शिक्षा पर खर्च बढ़ाओ!

भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त,1995 को राष्ट्रीय स्तर पर मध्याह्न्न भोजन कार्यक्रम (मिड–डे–मील प्रोग्राम) की शुरुआत की थी। शुरुआत में इसे देश के 2408 खंडों में शुरु किया गया तथा 1997–98 में इसका विस्तार सभी खंडो तक कर दिया गया। सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थियों के व्यापक तबकों को दायरे में लेने के लिए इसका धीरे –धीरे विस्तार किया गया।

मिड–डे –मील कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में, स्कूलों में दाखिलों को बढ़ाना,उपस्थिति में सुधार,स्कूल छोड़ बैठने की दर में कमी लाना व बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार लाना शामिल था। इस प्रकार यह कार्यक्रम देश में, विशेषतौर पर बच्चों में अशिक्षा व कुपोषण की गंभीर समस्याओं को संबोधित करने के लिए था।

आज मध्याह्न भोजन कार्यक्रम देश के 11,43000 स्कूलों में लागू किया जा रहा है और लगभग 10 करोड़ बच्चे इसके लाभान्वितों में शामिल हैं। लगभग 2525000 मिड–डे–मील वर्कर्स,बच्चों के लिए मध्याह्न्भोजन तैयार करने वाले रसोईयों व सहायकों के रुप में काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम ने बच्चों,विशेषतौर पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, खेतमजदूरों आदि के गरीब परिवारों के बच्चों की स्कूल छोड़ देने की दर में कमी लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस योगदान को स्वीकारते हुए, सुप्रीमकोर्ट ने 2001 में सरकार के लिए यह आवश्यक बना दिया ि कवह प्राइमरी स्कूलो के सभी बच्चों को ताजा भोजन उपलब्ध कराये। इसने मध्याह्न भोजन योजना को बच्चों का एक वैद्यानिक अधिकार बना दिया।

तथापि, नवउदारवादी निजाम के चलते जिसे इस दौरान देश में बल बिला, सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण के लिये किये जाने वाले खर्च में कमी आयी। सरकार ने अपने नागरिकों को शिक्षा,स्वास्थ्य आदि बुनियादि सेवाओं को प्रदान करने अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना शुरु कर दिया। इसने इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए निजी भागेदारी को प्रोत्साहन देना और सरकारी स्कूलों को उपेक्षित करना शुरु कर दिया। आज, कितने ही सरकारी स्कूलों में पक्के भवनों,पानी,शौचालय आदि सुविधाओं समेत समुचित आधारभूत ढांचे का अभाव है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लाखों पद वर्षों से खाली पड़े हैं। नतीजन,जहॉ सरकारी स्कूलों में दाखिल बच्चों की संख्या में 2009–10 की 14.69 करोड़ से 2013–14 में 13.87 करोड़ की संख्या तक बराबर कमी आयी है जबकि इसी दौरान निजी स्कूलों में दाखिल होने वाले बच्चों की संख्या 38 प्रतिशत बढ़ी है। सरकार कम दाखिलों के बहाने सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2.6 लाख छोटे सरकारी स्कूलों के विलय या पुर्नस्थापित करने का प्रस्ताव जारी किया क्योंकि कम दाखिलों के कारण ये व्यवहार्थ नहीं थे। इनमें से अधिकतर स्कूल दूरदराज स्थानों में आदिवासी व हाशिये पर पड़े अन्य समुदायों के बच्चों की शिक्षा के लिए हैं। ऐसे सभी कदमों का मतलब है कि गरीब समेत सभी अभिभावक इस उम्मीद में कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने को बाध्य हैं।

इन नीतियों ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को भी प्रभावित किया है। इस कार्यक्रम को धन मुहैया कराये जाने के तरीके को भी बदल दिया गया है। शुरुआत में पूरी तरह से एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम से गुजरे वर्षों में केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के बीच खर्च को साझा करने का तरीका भी बदला गया है। यूपीए सरकार के दौरान इसे बदलकर 75:25 किया गया। मौजूदा भाजपानीत मोदी सरकार ने केन्द्र के हिस्से को और कम कर 60 और राज्य सरकारों के हिस्से को बढ़ाकर 40 तक कर दिया। इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय बजट आवंटन मं भी वर्ष 2015–16 से उत्तरोत्तर कमी की गयी है।

यही नहीं, इस बीच केन्द्र के साथ ही कई राज्यों की,नवउदारवादी नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध सरकारें मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को अक्षय पात्र,इस्कॉन,नंदी फाऊडेशन आदि जैसी बड़ी कारपोरेट गैर सरकारी संस्थाओं को सौंपने की कोशिश में लगी रही हैं। कारपोरेट क्षेत्र को उसकी सामाजिक जिम्मेदारी के हिस्से के रुप में मध्याह्न भोजन प्रदान करने के लिए कहा जा रहा है। इस प्रकार,गरीब बच्चों की शिक्षा व पोषण को निजी खिलाड़ियों के हाथों में छोड़ा जा रहा है

इन नीतियों से 25 लाख से अधिक मिड–डे मील वर्करों की आजीविका को खतरा पैदा कर दिया है जिनका विशाल बहुमत सामाजिक रुप से दमित तबकों की महिलाओं का है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित अन्य कार्यक्रमों, समन्वित बाल विकास सेवाएं (आई सी डी एस) तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत आंगनवाड़ी वर्करों व सहायिकाओं तथा आशाओं (एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स) की तरह ही मिड–डे –मील,वर्कर्स को भी दशकों से काम करते रहने के बावजूद ' मजदूर' की मान्यता नहीं है।

उन्हें बहुत ही मामूली 1000 रुपये प्रतिमाह का ' मानदेय ' दिया जाता है वह भी वर्ष में केवल 10 महीने। उन्हें और कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त नहीं है– न भुगतान के साथ मातृत्व अवकाश है, न कोई स्वास्थ्य लाभ, न दुर्घटना राहत और न ही पेंशन। यहाँ तक लटकाये रखा जाता है।

कुछ राज्यों में खाना पकाने के काम को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को दिया जाता है, जिनकी सदस्य स्कूलों में बारी–बारी से खाना पकाती हैं। उनकी भी ऐसी ही स्थिति है। उन्हें अपनी जेब से खर्चा कर सब्जियां,दालें आदि सामान खरीदना होता है। इसके भुगतान को महीनों तक लंबित रखा जाता है। आंध्रप्रदेश व तेलंगाना जैसे राज्यों में तो उन्हें अंडे खरीदने और सप्ताह में तीन बार बच्चों को परोसने के लिए भी बाध्य किया जाता है। इसे खरीदने के लिए पैसे पहले उन्हें अपनी जेब से देने होते हैं। यह पैसा उन्हें कई महीने बाद जाकर मिलता है। अक्सर ही जब वे पैसा नहीं दे पातीं, किराने की दुकानों वाले उन्हें उधार देने से मना कर देते हैं। फिर संबंधित अधिकारी बच्चों को खाने में अंडे न देने के लिए उन्हें खरी–खोटी सुनाते हैं।

मध्याह्न भोजन कर्मी तथा उनकी यूनियनें राज्य स्तर पर और मिड–डे मील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय स्तर पर,मिड–डे– मील कार्यक्रम के प्रभावी अमल और मिड–डे–मील वर्कर्स के हालातों में सुधार के लिए लगातार संघर्ष करते आये हैं। सीटू तथा अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं में कार्यरत मजदूरों के साथ ही मिड–डे–मील वर्करों की माँगों को अलग–अलग मंचों पर उठाया है। उनकी पहलकदमी के कारण,देश में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संगठनों तथा केन्द्र व राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के उच्चतम त्रिपक्षीय निकाय, भारतीय श्रम सम्मेलन के 45 वें सत्र ने महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं। इसने सिफारिश की कि मिड–डे–मील कर्मियों समेत सभी योजना कर्मियों को:

- 'मजदूर' की मान्यता दी जाये
- न्यूनतम वेतन दिया जाये
- सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किये जायें और
- इन योजनाओं का निजीकरण नहीं होना चाहिये

लेकिन,भारत सरकार ने इन सर्वसम्मत सिफारिशों को अब तक लागू नहीं किया है।

ऐसा नहीं है कि सरकार के पास सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत करने,तथा स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान करने के लिए पैसा नहीं है। इस बारे में निम्नलिखित आंकड़ों पर दृष्टि डालें :

- केन्द्रीय बजट के दस्तावेजों के अनुसार, पिछले एक दशक से हर वर्ष सरकार कारपोरेटों को 5 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा कीकर छूटें और अन्य 'छूटें' दे रही है।

- इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष के बजट बयान के अनुसार बड़े कारपोरेट द्वारा भुगतान नहीं की गयी कर की राशि इकट्ठा होते –होते 7 लाख करोड़ रुपये हो गयी है।

- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि बड़े कारपोरेट को दिये गयें कर्ज की 2.42 लाख करोड़ रुपये की राशि को 2014–15 व सितम्बर, 2017 के बीच बढ़े खाते में डाल दिया गया।

ये सारा जनता का पैसा है। कारपोरेटों को परोक्ष कर में छूट या करों का भुगतान न किये जाने की मद में 12 लाख करोड़ तथा बैंक में जमा जनता के पैसे के 9 लाख 'करोड़' जिसको बड़े कारपोरेटो ने कर्ज के रुप में ले रखा है और जानबूझकर अदा नहीं किया है, मिलकर 21 लाख करोड़े बनते हैं।

यह राशि , सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा,सभी के लिए स्वास्थ्य तथा मिड–डे–मील वर्करों समेत सभी योजना मजदूरों के हालात को सुधारने के लिए आवश्यक राशि से कहीं ज्यादा है।

लेकिन मेहनतकश जनता की कीमत पर बड़े कारपोरेटों के मुनाफे बढ़ाने वाली नवउदारवादी नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध सरकार ऐसा करनेको तैयार नहीं हैं। इसीलिए,मिड–डे–मील कर्मियों के हालात में सुधार के लिए लड़ने के साथ ही नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ लड़ाई भी आवश्यक है।

संसद के सामने 5 सितम्बर की 'मजदूर–किसान संघर्ष रैली' इन नवउदारवादी नीतियों के विरुद्ध लड़ाई के लिए है जो मध्याह्न भोजन कर्मियां व अन्य योजना कर्मियों को उनके जायज अधिकारों से वंचित करती हैं। यह रैली सभी योजना कर्मियोंको 'मजदूर' के रुप में मान्यता,न्यूनतम वेतन, पेंशन व अन्य सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किये जाने की माँग के लिए है। यह शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं के

निजीकरण को रोकने के लिए है।

एकजुट हो! संघर्ष करो!

- 0.1 प्रतिशत के लिए काम करने वाली सरकारों के विरुद्ध
- ऐसी नीतियों के लिए जो 99.9 प्रतिशत के लाभ के लिए हों ।